न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र०न० — 124/2025
प्रथवान : —

1. लिखुराम उर्फ लिखमाराम दतक पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन रामबास तहसील भादरा।

:—प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :—श्री सतवीर पुनियां प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 04·09·2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामबास के खाता संख्या 59/108 की 13.2950 है० बारानी व खाता संख्या 113/60 की 6.009 है० एवं खाता संख्या 118/73 की 20.9230 है० बारानी में प्रार्थी के नाम संयुक्त खाते में दर्ज रिकॉर्ड है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लिखमाराम दतक पुत्र हेतराम दर्ज है जो कि सही नहीं हैं जबकि प्रार्थी संख्या का सही नाम लिखुराम उर्फ लिखमाराम दतक पुत्र हेतराम है जिसे सही किये जाने का निवेदन है।

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी संख्या का सही नाम लिखुराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकांर तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा रामबास के खाता संख्या 59/108 की 13.2950 है० बारानी व खाता संख्या 113/60 की 6.009 है० एवं खाता संख्या 118/73 की 20.9230 है० प्रार्थी लिखमाराम दतक पुत्र हेतराम के नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी का सही नाम लिखुराम उर्फ लिखमाराम दतक पुत्र हेतराम है जिसे दुरुस्त किया जावें ताकि प्रार्थीगण अपनी वादभूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:01:38 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी व रिपोर्ट तहसीलदार के स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अधिकारी (राजस्व)
जिला-हनुमानगढ़

अतः प््रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर
लदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा मौजा रामवास के
संख्या 59/108 की 13.2950 है0 बारानी व खाता संख्या 113/60 की 6.009
व खाता संख्या 118/73 की 20.9230 है0 प्रार्थी लिखमाराम दतक पुत्र हेतराम के
संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम लिखमाराम दतक पुत्र
के स्थान पर लिखुराम उर्फ लिखमाराम दतक पुत्र हेतराम दर्ज किया जाकर
रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने
रान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में
संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि
ाराम दतक पुत्र हेतराम के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम लिखमाराम दतक
तराम ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और
में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगें।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले
लय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:01:38 IST
Reason: SelfAttested